15/1/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 151/2016 अनवानी श्री सत्यपाल मेघवाल 'धम्मदीप' सम्पादक दैनिक सीमान्त रक्षक, वार्ड न0 31 अम्बेडकर नगर, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

06–12.–2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सत्यपाल मेघवाल 'धम्मदीप' उपस्थित है। जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा चाहे अनुसार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना नही मिली है। अतः उसे सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि है कि अपीलार्थी द्वारा प्रा0 पत्र दिनांक 31.08.16 से चाही गई सूचनांए जनहित से संबंधित नही है और बिन्दु सं0 2 से 5 की सूचनांए उनके कार्यालय में उपलब्ध भी नही है। इसलिए धारा 2(च) व 7(9) के तहत सूचनांए देय नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी एवं सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी सूरतगढ के (मालिक रमन मोदी) फर्म के दस्तावेज/पार्टनरशीप एवं पॉवर अटार्नी इत्यादि प्रमाणित प्रति।
2. रमन मोदी की ज्योति ट्रेडिंग कम्पनी सूरतगढ़ को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2016 तक का वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां।
3. रमन मोदी के आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई उस पर क्या कार्यवाही की गई की सम्पूर्ण जानकारी की प्रमाणित प्रति।
4. रमन मोदी के पास सूरतगढ शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन डिपूओ का अतिरिक्त चार्ज कब कब रहा और किस किस राशन डिपो होल्डर का रहा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति
5. रमन मोदी के पास ईन्ट भटटा मजदूरों एवे छात्रो को मिलने वाले केरोसीन चार्ज कब से कब तक रहा की प्रमाणित प्रति।

उक्त सूचनांओ के संबंध में अपीलार्थी की अपील पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 6288 दिनांक 17.10.2016 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

उपरोक्त सभी चाही गई सूचनांए विस्तृत एवं प्रश्नात्मक होने व बिन्दू संख्या 1 में चाही गई सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण व बिन्दु संख्या 2 से ज की सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण यह सूचना आरटीआई की धरा 2(च) व 7(9) के तहत देय नही होने के कारण व तृतीय पक्ष के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पेत्र लीव पेटीशन (सिविल) न0 27734/2012 में दिनांक 03.10.2012 में पारित निर्णय में भी स्पष्ट किया है कि We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respodent , Show cause notices and orders of censure punishment etc.are qualified to be personal information as

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P - T.O

defined in clause (i) of section 8(1) of the RTI Act. the performance of an employee/officer in and organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which has no relationship to any public acticity or public interest. on the other hand, the disclosure of which would cuse unwarranted infasion of privacy of the individual. of course, in a gives as, if the Central Public Information Officer of the State Public Information officer of the Appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclsure of such information. appropriate orders could bne passed but the petitioner cannot claim those details as matter of right. होने के कारण तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से कोई जनहित भी सार्थक नही होने के कारण तथा बिन्दू संख्या 2 से 5 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण जो आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत देय नही थी। इस प्रकार अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन पत्र नियत समय पर खारिज कर उनके कार्यालय के पत्रांक 5930 दिनांक 19.09.16 द्वारा जरिए डांक सूचित कर दिया गया था। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो और चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और सूचनाएं लोकहित की होनी चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना खोजकर भी सूचना उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नही है। इस दृष्टि कोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही प्रतीत होता है फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावनाओ को देखते हुए हम चाहते है कि उक्त सूचनांओ में से जो सूचना आसानी से उपलब्ध करवाई जा सकती हो वह उसे उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसलिए मामले को पुनः न्यायहित में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त दिये गये निदेशो को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार सूचनांए उपलब्ध करवाएं। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2179-2180
20-12-16

आदेश आज दिनांक 06.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर